पुस्तकों के प्रचार–प्रसार से संबद्ध परिसंवाद/प्रशिक्षण पाठयक्रम/कार्यशाला/वार्षिक समारोह आदि के आयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों के लिए आर्थिक सहायता योजना

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए

क **परिचय**

पुस्तकों के प्रचार–प्रसार से संबद्ध परिसंवाद/प्रशिक्षण पाठयक्रम/कार्यशाला/वार्षिक समारोह आदि के आयोजन के उददेश्य से कई संगठनों ने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है। ये संगठन लेखकों, प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं से संबद्ध हैं।

कई अवसरों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तात्कालिक रूप से अनुदान दिए गए ताकि ऐसे परिसंवाद आदि पर अनुमोदित व्यय के 75 प्रतिशत का भुगतान हो सके पुस्तक जगत के विकास में संलग्न ऐसे संगठनों के आवेदनों पर भविष्य में निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार सहायता दी जाएगी।

ख **क्षेत्र विस्तार**

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में किसी एक या कई उद्देश्यों से संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी :

1 भारत में पुस्तकों के प्रचार–प्रसार संबद्ध किसी विषय पर भारतीय लेखकों प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं के लिए परिसंवाद का आयोजन।

2 पुस्तकों के प्रचार–प्रसार से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

3 लेखकों प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं के लिए वार्षिक समारोहों/सम्मेलनों का आयोजन।

4 पुस्तक उद्योग से संबद्ध शोध/सर्वेक्षण का कार्य।

5 पुस्तक उद्योग के विकास आदि के लिए समुचित परिवेश के उददेश्य से की जाने वाली कोई अन्य गतिविधि।

ग **योग्यता**

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अंतर्गत लेखकों, प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन जो पुस्तकों के प्रचार–प्रसार में संलग्न हों ।

घ **अनुदान/सहायता की शर्तें**

1 संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम 21) के अंतर्गत पंजीकरण हो । यह कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हो।

2 राशि भुगतान करने से पुर्व संगठन को अनुदान को अनुदान के संबंध में एक बांड बनाना पड़ेगा। अनुदान प्राप्त संगठन को यह शपथ (लिखित) लेना पड़ेगा कि उसे केंद्र/राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण से इस निमित कोई भी सहायता अनुदान नहीं मिला है। और इस उद्देश्य से संगठन द्वारा उनमें से किसी प्राधिकरण के पास सहायता या अनुदान के लिए आवेदन भी नहीं किया गया है ।

3 संगठन को यह शपथ भी लेनी पड़गी कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य से होगा जो अनुमोदित है। इसमें असफल रहने पर संगठन को अनुदान की पूरी राशि वापस करनी होगी। दंड स्वरूप ब्याज का भुगतान भी करना होगा जिसका निर्धारण न्यास द्वारा किया जाएगा ।

4 संगठन के निजी संसाधन से वास्तविक व्यय का न्यूनतम 25 प्रतिशत के समतुल्य योगदान देना होगा इसमें असफल रहने पर संगठन द्वारा न्यास को आनुपातिक रूप से राशि वापस की जाएगी ।

5 परिसंवाद/प्रशिक्षण पाठयक्रम/कार्यशाला/वार्षिक समारोह आदि के आयोजन के लिए 'राष्ट्रीय पुस्तक न्यास' द्वारा प्रत्येक मद के लिए निर्धारित व्यय के अनुसार सीमित अनुदान दिया जाता है।

6 वित्तीय सहायता प्राप्त किसी संगठन का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत या भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

7 अनुदान के लिए अलग लेखा रखा जाएगा न्यास द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित समय–सीमा में यह प्रस्तुत करना होगा ।

8 अनुदान स्वीकृत होने के एक साल के अंदर अनुदान उपयोग का एक प्रमाण पत्र देना होगा जो यह सत्यापित करे कि अनुदान राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित लेखों का एक विवरण भी विधिवत् संलग्न करना होगा ।

9 आयोजन की तिथि से एक माह के अंदर परिसंवाद के रिपोर्ट की एक टंकित/मुद्रित प्रति न्यास को भेजना पडेगा जिसमें यह उल्लेख हो कि आयोजन किस प्रकार संगठन, प्रतिभागियों एवं पुस्तक जगत के लिए उपयोगी था ।

10 इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान का उपयोग पूर्व के दायित्वों को पूरा करने या ऋण की वापसी के लिए नहीं किया जाएगा ।

11 न्यास को किसी आवेदन को किसी भी चरण में अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। उसे कारण बताने की बाध्यता भी नहीं होगी ।

12 संगठन में जाति, वर्ण या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना भारत के सभी नागरिकों का स्वागत हो।

13 संगठन द्वारा न्यास से पूर्व अनुमति के बिना देश के बाहर किसी विदेशी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

ड. सहायता सीमा

योग्यता के आधार पर ही वित्तीय सहायता के सभी आवेदनों पर विचार किए जाएगें। व्यय के सिर्फ अनुमोदित मदों के लिए अनुदान की अनुमति दी जाएगी। अनुदान की राशि कुल अनुमोदित व्यय का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

च **आवेदन जमा करने की प्रकिया**

पूर्ण विवरण के साथ सभी आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजे जाएं :

निदेशक
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
के अधीन एक स्वायत्त संगठन
नेहरु भवन, 5, इंस्टीट्यशनल एरिया, फेस–2,
वसंत कुंज, नई दिल्ली.110070
दूरभाष नं. : 011–26121830, फैक्स : 011–26121883
ई–मेल : director@nbtindia.org.in, वेबसाइट : www.nbtindia.org.in

1 प्रत्येक आवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए :

अ संगठन के उद्देश्य एवं गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण।
आ संगठन पंजीकृत है या किसी अन्य संगठन से संबद्ध है।

इ प्रबंधन समिति की रिपोर्ट संरचना।

ई नवीनतम सालाना रिपोर्ट।

उ संगठन के गत् वित्त वर्ष के अंकेक्षित लेखों की एक प्रति गत् वर्ष के तुलन पत्र की एक प्रति भी संलग्न हो ।

ऊ राज्य/केंन्द्र सरकार या किसी अन्य निकाय से प्राप्त अनुदान का विवरण

प्रत्येक स्थिति में निम्नलिखित बिन्दुओं का खुलासा करें :

च अनुदान प्राप्त करने का उद्देश्य।

छ उपयोग किस प्रकार किया गया।

ज जिसके लिए सहायता दी गई उसमें क्या प्रगति हुई और।

झ क्या पिछले अनुदान की सभी शर्तों को पूरा किया गया।

ए यह शपथ (लिखित) लेना होगा कि अनुमानित व्यय को तर्कसंगत मान कर अनुमोदन हो जाने, और इन अनुमानों के आधार पर अनुदान का आकलन हो जाने के बाद न्यास की पूर्व अनुमति के बिना संगठन द्वारा कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा ।

ऐ अनुमानित व्यय को पूर्णतः समुचित साबित करना होगा। इसके लिए पूर्ण विवरण आवश्यक है।

पुस्तकों के प्रचार–प्रसार से संबद्ध परिसंवाद/प्रशिक्षण पाठयक्रम/कार्यशाला/वार्षिक समारोह आदि के आयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों के लिए आर्थिक सहायता योजना

वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आवेदन पत्र

ध्यान दें

1 **अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**
2 **आवेदन पत्र स्पष्ट अक्षरों में भरा जाए।**

भाग 1

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

1 संगठन का नाम और पत्राचार के लिए पूरा पता जिसमें ब्लॉक, ताल्लुक, जिला, राज्य आदि का उल्लेख साफ अक्षरों में हों ।

.....

.....

.....

दूरभाष नं. ..... ई–मेल .....

2 संगठन के संक्षिप्त इतिहास, उददेश्य एवं गतिविधियां :

.....

.....

.....

.....

.....

3 क्या यह भारतीय सोसायटी पंजीारण अधिनियम,1860 (1860 के अधिनियम 21) के अंतर्गत पंजीकृत और जनविश्वास प्राप्त निरपेक्ष कम्पनी है। विहित संख्या दें ।

.....

.....

.....

.....

4 संगठन का कार्यालय अपने भवन के है या किराये पर :

.....

.....

.....

5 कार्यक्रम, जिसके लिए आवेदन किया गया है। कार्यक्रम आयोजन का विषय स्पष्ट रुप से लिखा जाए ।

.....

.....

.....

.....

6 कार्यक्रम की अवधि :

.....

.....

7 क्या इस परियोजना पर होने वाले व्यय के किसी हिस्से का प्रावधान किसी अन्य कार्यालयीय, सरकारी, गैर.–कार्यालयीय, गैर–सरकारी या विदेशी स्रोत से किया गया है या किया जाएगाा यदि हां, तो राशि सीमा और देने वाली एजेंसी के नाम का उल्लेख करें ।

.....

.....

.....

8 परियोजना पर कुल अनुमानित व्यय :

रू .....

.....

9 वांछित अनुदान की राशि :

रू .....

.....

10 क्या संगठन अपने हिस्से का व्यय करने में सक्षम है। यदि हां तो संभांवित स्रोत का विवरण दें ।

.....

.....

.....

.....

11 संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों/विवरणों की सूची

1 संगठन का संविधान/सहमति पत्र

2 पंजीकरण प्रमाण पत्र

3 प्रबंधन समिति का संविधान, प्रत्येक सदस्य के विवरण के साथ

4 नवीनतम अंकेक्षित ब्योरा

5 गत् तीन वर्षों के अंकेक्षित लेखा, गत् वर्ष का प्रमाणित तुलन पत्र समेत

6 परियोजना का विवरण जिसमें परियोजना पर मदवार एवं वर्षवार व्यय का विवरण हो।

12 अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची, यदि आवश्यक हो ।

.....

.....

.....

.....

स्थान.....

तिथि.....

.....

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

पदनाम एवं मुहर